# न्यायालय उपखंड अधिकारी दौसा

ासीन अधिकारी : संजय कुमार गोरा RAS
रण संख्या : 12/2017
यर दिनांक : 17.02.2017
र्णय दिनांक : 29.03.2022

**उनवान**

ू पुत्र लोहड्या जाति मीना निवासी ग्राम मांगाभाटा तहसील व जिला दौसा

**प्रार्थी**

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार दौसा
नारायण पुत्र रामला जाति मीना निवासी मांगाभाटा तहसील दौसा जिला दौसा
राम मनोहर पुत्र रामला जाति मीना निवासी मांगाभाटा तहसील दौसा जिला दौसा
- महेश पुत्र लालाराम जाति मीना निवासी मांगाभाटा तहसील दौसा जिला दौसा
मुकेश पुत्र लालाराम जाति मीना निवासी मांगाभाटा तहसील दौसा जिला दौसा
- गोपाल पुत्र किशना जाति मीना निवासी मांगाभाटा तहसील दौसा जिला दौसा
रमेश पुत्र हट्या जाति मीना निवासी मांगाभाटा तहसील दौसा जिला दौसा
- सुरेश पुत्र हट्या जाति मीना निवासी मांगाभाटा तहसील दौसा जिला दौसा
कमलेश पुत्र हट्या जाति मीना निवासी मांगाभाटा तहसील दौसा जिला दौसा
0- प्रणाम पुत्र परमा जाति मीना निवासी मांगाभाटा तहसील दौसा जिला दौसा

**अप्रार्थीगण**

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 ाजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का पेश किया है कि ग्राम मांगाभाटा तहसील ौसा जिला दौसा में प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नंबर 245, 246, 256 व 260 कुल किता 4 रकबा 1.81 हेक्टर स्थित है। अप्रार्थीगण 2 से 10 तक का प्रार्थी ी उक्त भूमि से कोई वास्ता नहीं है। उक्त भूमि का दिनांक 4.11.2016 को सीमाज्ञान भी रवाया है। प्रार्थी अपनी उक्त वर्णित भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाना चाहता है।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि खसरा नंबर 245, 246, 256 व 260 पर न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं ... अपील अधिकारी दौसा मुख्यालय जयपुर के मुकदमा नंबर 46/217 दिनांक 21.6.2019 ... तहसीलदार दौसा के आदेश क्रमांक: भू•अ•/2019/19623 दिनांक 25.11.2019 स्थगन नोट दर्ज हुआ है। अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 9 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र निहायती झूठे तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है, जिसमें कोई सत्यता नहीं है। उक्त भूमि बाबत एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.06.24 17:04:32 IST.
Reason: SelfAttested

लगातार......2.....

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

द सहायक कलेक्टर दौसा की अदालत में चल रहा था जिसका एकतरफा निर्णय दिनांक .10.2016 को हो गया था जिसके खिलाफ उत्तरदाता ने भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व पील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा के समक्ष अपील चल रही है तथा जिसमें आगामी तारीख गी 13.5.2022 है और उक्त अपील में स्टे चल रहा है। जब उक्त भूमि बाबत केस विचाराधीन और स्टे चल रहा है तो पत्थरगढ़ी का आदेश दिया जाना कतई न्यायोचित नहीं है। उक्त मि पर कभी भी शंभू पुत्र लोहड्या मीना का कब्जा नहीं रहा और ना ही आज कब्जा है बल्कि त्त भूमि पर आज भी मौके पर प्रत्युत्तरदाता का कब्जा है। जवाब पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना खारिज करने का अनुरोध किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2,3,10 को पर्याप्त अवसर दिए जाने बावजूद उनकी ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इनके विरुद्ध एक तरफा र्यवाही की गई।

प्रकरण में बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से बहस के दौरान बताया गया कि प्रश्नगत राजी सह खातेदारी की भूमि नहीं है, बल्कि वह सकल खातेदार है। प्रार्थी की ओर से अपने धेकारों के लिए कोई दावा नही किया गया है। प्रार्थी ने पत्थरगढी हेतु प्रार्थना पत्र पेश या है, पत्थरगढी से रिकार्ड में बदलाव नहीं होगा। अप्रार्थीगण की ओर से पूर्व में कराये सीमाज्ञान को चुनौती नहीं दी गई है। अतः पत्थरगढी के आदेश जारी करने का अनुरोध या गया है। अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 9 की ओर से बहस के दौरान बताया गया विवादित राजी सह खातेदारी की भूमि है। पड़ोसी काश्तकारों को पार्टी नहीं बनाया गया । न्यायालय से गन है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज करने का अनुरोध किया है।

हमने पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार त खसरा नंबरों की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है । अप्रार्थी द्वारा संयुक्त खातेदारी कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया है। भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी पुर का स्थगन किस प्रकृति का है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है और न ही उसकी प्रति प्रस्तुत गई है तहसीलदार दौसा द्वारा पत्थरगड़ी करवाने में कोई आपत्ति होना जाहिर नहीं किया है। र्थी द्वारा जिस भूमि की पत्थरगढ़ी चाही गई है वह उसकी एकल खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। : प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार दौसा को आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि रा नंबर 245, 246, 256 व 260 कुल किता 4 रकबा 1.81 हेक्टर का अनुभवी चारियों/भू–अभि0निरी0 की टीम गठित कर स्वयं की उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाकर रगढी करवायी जावे। प्रार्थी से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। माज्ञान/पत्थरगढी के दौरान अगर पुलिस जाप्ते की जरूरत हो तो पुलिस से समन्वय कर स इमदाद प्राप्त की जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नियम से कार्य हो पत्रावली बाद तकमील प्रविष्ट लेख डार हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 17:04:32 IST
Reason: SelfAttested

(संजय कुमार गोरा)
उपखंड अधिकारी, दौसा